संख्या : 23/2016/166/छप्पन-2016-180क्यू/81

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2016

विषय: राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों, ग्राउण्ड सपोर्ट एक्यूपमेन्ट के क्रय व उनके अनुरक्षण तथा आयल/ लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 व ए0वी0 गैस आदि के लिए मेसर्स एच0ए0एल0, बंगलौर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों को अग्रिम भुगतान करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश को अग्रिम आहरण का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 891/ना0उ0नि0/6-जी/88, दिनांक 20.01.2016 तथा शासनादेश संख्या- 52/छप्पन-2015-180क्यू/81, दिनांक 12.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंगित शासनादेश दिनांक 12.02.2015 द्वारा राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के फालतू पुर्जों, ग्राउण्ड सपोर्ट एक्यूपमेन्ट के क्रय एवं उनके अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अग्रिम भुगतान करने तथा विदेशी कम्पनियों/फर्मों के नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया में " लेटर आफ क्रेडिट " खोलने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को एक मामले में रूपये 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) तक का अग्रिम आहरण की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिये प्रदान की गयी है। उक्त समाप्त हो रही अवधि की तिथि को बढ़ाकर अब श्री राज्यपाल महोदय में आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 तक रूपये 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण की तथा इतनी ही धनराशि के पुर्जो को नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति का अधिकार प्रदान करते हैं।

2- श्री राज्यपाल महोदय राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के लिए आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि के क्रय हेतु भारत सरकार के उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन को अग्रिम भुगतान करने हेतु उन्हें एक मामले में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण तथा इतनी ही धनराशि का आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0 तथा ए0वी0 गैस आदि का क्रय नियमानुसार करने का अधिकार भी निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) अग्रिम आहरण, अग्रिम आहरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 11983 एवं संख्या- ए-1-235/दस-15-1-(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) मामले में दूसरा अग्रिम तभी आहरित किया जाय, जब पूर्व आहरित अग्रिम का पूर्ण समायोजन हो जाने पर समायोजन बिल महालेखाकार को भेज दिया जाय। अग्रिम से सम्बन्धित प्रत्येक बिल पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त आशय का एक प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा। जिस धनराशि का समायोजन नहीं हुआ उस सीमा तक अग्रिम की धनराशि का आहरण प्रतिबन्धित हो जायेगा। गत् वर्ष के अग्रिमों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2016 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप यदि शासन को कोई क्षति होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) अग्रिम जिस सामग्री के क्रय के लिए किया जा रहा है, उसकी आपूर्ति एवं अग्रिम का समायोजन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं दिनांक 10.6.2011 की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

(5) फालतू पुर्जों के क्रय तथा आयल/लुब्रीकेन्ट्स/ए0टी0एफ0/ए0वी0 गैस आदि के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो और क्रय की स्वीकृति के आदेश में उस प्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाय, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी है।

(6) आपूर्तिकर्ता/फर्म/कम्पनी/उत्पादक को अग्रिम भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक बैंक गारन्टी आदि प्राप्त करने के बाद लेकर किया जाय।

(7) यह अधिकार केवल दिनांक 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन अग्रिम आहरण से सम्बन्धित प्रत्येक स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि "सम्बन्धित मद में बजट में कितना प्रावधान उपलब्ध है उसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितनी धनराशि सम्बन्धित व्यय को वहन करने हेतु उपलब्ध है।" किसी भी दशा में व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः एफ0 ए0-1-78/दस-2016, दिनांक-02 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 23/2016/166(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अग्रिम बिल पारित करते समय सुनिश्चित कर लें कि मामले में उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in